

प्रारूप-2
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुझुनू

दस्तावेज एप्लीकेशन नम्बर- 01592 - 235475/235474 E-mail Id : deo@jzzn@gmail.com

कमाक-जि.शिक्षा/प्रार/शु/मान्यता/2012/568

पृष्ठक

दिनांक-30-10-11

नरेन्द्र एकेडमी सुल्ताना

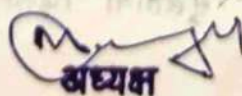
विषय- नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के तहत नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

भंडार/महोदय

आपके दिनांक-19-10-11

पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से दिनांक-20-फरवरी-2012 के आदेश और इस संबंध में विद्यालय को साथ पत्राचारवर्ती (अ) प्रारम्भिक शिक्षा का दिनांक-सत्र 2012 से दिनांक-31/3/13 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अनिवार्य मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त शर्तों के निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है-

- मान्यता की मजदूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पत्राचार मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाधा नहीं है।
- विद्यालय नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय को कक्षा 1 के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आर-रहस के कमतर दरों और इनके तहत उपलब्ध कराया जाएगा।
- कक्षा 1 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- समायोजी/विद्यालय किसी कंपिटिशन, शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या स्वयंसेवकों को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश करने प्रमाण धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा जो उसे विद्यालय में शिक्षासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बॉर्डर परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रवेश बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निशक्तता प्राप्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाएगा।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं को साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधिष्ठित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापी में निवाजित नहीं करेंगे।


अध्यक्ष

**स्व नरेन्द्र बुडानिया मेमोरियल शिक्षण
जनकल्याण एवं विकास संवा समिति
सुल्ताना जिला झुझुनू (राज.)**


PRINCIPAL

**Narendra Academy, Sulatana
School Code-10771**

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य ग्रन्थों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकवित्त, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित भवन
बोर्डिंग स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्षा
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
प्रेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पढ़ने सामग्री/क्रीड़ा खेलकुद उकस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समुह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 568 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
19. सलग्न उपाबंध-111 के अनुसार अन्य कोई शर्त।

20. R.T.C. 2009 के तहत आपदाओं की क्षतिपूर्ति करेगी।

वरना आपकी मान्यता रद्द कर दी जावेगी।

भयदोय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू


अध्यक्ष

स्व नरेन्द्र बुढानिया मेमोरियल शिक्षण
जनकल्याण एवं विकास संवा समिति
सुसताना जिला झुन्झुनू (राज.)


PRINCIPAL

Narendra Academy, Sultana
School Code-10771